संदर्भ सीजीटीएमएसई /जीएफ/265 दिसंबर 31, 2025

सीजीटीएमएसई के सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थान (एमएलआई) - सीजीएस -I, II और III

परिपत्र संख्या 256/2025 – 26

महोदया/प्रिय महोदय,

एनपीए मान्यता के समय पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सावधि ऋण खातों

के लिए गारंटी समाप्ति अवधि में विस्तार

कृपया क्रेडिट गारंटी योजनाओं के प्रावधानों को देखें जिसमें वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) गारंटी समाप्ति तिथि तक या खाते के बंद होने तक, जो भी पहले हो, प्रभारित किया जाता है। इसके अलावा, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, गारंटी उस समय लागू होनी चाहिए जब खाता एनपीए होता है, जिसका अर्थ है कि दावा पात्रता के लिए खाता एनपीए तिथि पर गारंटी समाप्ति तिथि के भीतर हो।

यह देखा गया है कि कुछ मामलों में, विशेष रूप से जहां उधारकर्ता अंतिम किस्त पर चूक करते हैं, तो खाता मूल गारंटी समाप्ति तिथि के बाद एनपीए हो जाता है, जिससे ऐसे खाते गारंटी दावों के लिए अपात्र हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, 01 अप्रैल, 2025 को 5 साल की अवधि के साथ स्वीकृत ऋण के संबंध में, गारंटी 31 मार्च, 2030 को समाप्त हो जाएगी। यदि उधारकर्ता अंतिम किस्त में चूक करता है, तो खाता अप्रैल-जून 2030 के दौरान एनपीए में बदल जाएगा, यानी गारंटी समाप्ति तिथि के बाद, जिससे दावा अपात्र किया जा सकता है।

इस तरह की घटनाओं से बचने और एनपीए मान्यता के समय निर्बाध कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:

1. **ऐसे मामलों के लिए जहां इस परिपत्र की तारीख के बाद गारंटी जारी की गयी है:** : सावधि ऋण खातों के लिए गारंटी समाप्ति तिथि मूल समाप्ति तिथि के बाद उसमें चार महीने जोड़कर होगी।

2. **सभी मौजूदा सक्रिय और मानक गारंटी खातों के लिए**: वर्तमान वित्त वर्ष यानी **2025-26** में समाप्त होने वाले मामलों को छोड़कर सभी सक्रिय और मानक सीजीपीएएन (जहां सीजीटीएमएसई पोर्टल में एनपीए चिह्नित नहीं है) के लिए गारंटी समाप्ति तिथि को समान रूप से चार **(4)** महीने तक बढ़ा दिया जाएगा। जिन मामलों की गारंटी चालू वित्त वर्ष **(**वित्त वर्ष **2025-26)** में समाप्त हो रही है, गारंटी समाप्ति तिथि अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि वित्त वर्ष **2025-26** के लिए गारंटी शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

3. भविष्य के मामलों के लिए एजीएफ में विस्तारित गारंटी अवधि [यानी, मूल समाप्ति तिथि + चार (4) महीने] और के लिए शुल्क लिया जाएगा, जैसा कि क्रमांक संख्या 1 में उल्लिखित है और मौजूदा सक्रिय और मानक मामलों के लिए जैसा कि क्रमांक संख्या 2 में उल्लिखित है किया जाएगा।

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ।

भवदीय,

ह /-

(धीरज कुमार)

उप महाप्रबन्धक

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (भारत सरकार एवं सिडबी द्वारा स्थापित)
1ली मंजिल, सिडबी स्वावलंबन भवन, एवेन्यू 3, लेन 2, बान्द्रा–कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई - 400 051.
Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (Set up by Government of India & SIDBI)
1st Floor, SIDBI Swavalamban Bhavan, Avenue 3, Lane 2, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.
+91-22-67531553 | www.cgtmse.in | 1800 222 659 @CGTMSEOfficial CGTMSE Youtube Channel @CGTMSEOfficial